

कार्यालय आदेश सं0:-1253/2019

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 278/11 पृष्ठांकन सं0 का/210/पी/टंकक/V दिनांक 23.12.2011 के द्वारा 33 ¼ एवं 16% कोटा के अंतर्गत ग्रुप -'डी' से ग्रुप-'सी' (अवर लिपिक) वेतन लेवल-02, ग्रेड वेतन - 1900/- के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों जो अनिवार्य रूप से निर्धारित टंकण जांच परीक्षा में सफल नहीं हुए थे, को उनके मूल पद पर पदावनत किया गया था। उक्त पदावनत आदेश पर माननीय CAT पटना के समक्ष दायर OANo. 08/2012 में दिये गये स्थगण आदेश के आलोक में उक्त पदावनत आदेश को स्थगित किया गया था। पुनः माननीय CAT पटना द्वारा OANo. 08/2012 को दिनांक 23.12.2016 को खारिज किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं0 340/2017 पृष्ठांकन सं0 का/210/पी/टंकक/V दिनांक 10.01.2017 के द्वारा इन लोगों का अवर लिपिक से ग्रुप 'डी' कोटि में पदावनत से संबंधित कार्यालय आदेश सं0 278/11 दिनांक 23.12.2011 को पूर्व में निर्धारित वेतन की कटौती नहीं करने की शर्त के साथ दिनांक 23.12.2011 से लागू किया गया है।

अब निम्नलिखित कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में 'सिविल अपील सं0 8011-8012/2019 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसका मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

“.... It is hereby directed that the Indian Railways should treat the appellants as having continued as LDCs on regular basis from the date they were originally promoted (in 2008) and grant them all consequential benefits. They should be restored to their position by office memorandum and consequential orders to be issued within four weeks from today. It is clarified that this order is made in the peculiar circumstances of the case and has no precedential value.”

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में महाप्रबंधक (विधि)/पटना, महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक/समस्तीपुर की सहमति के उपरांत निम्नलिखित कर्मचारियों का अवर लिपिक से ग्रुप -'डी' श्रेणी में पदावनत आदेश को निरस्त करते हुए अवर लिपिक कोटि में उनके मूल पदोन्नति तिथि से पदोन्नत कर उनके पूर्व पदस्थापित विभाग में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम सर्वश्री/श्रीमती	वर्तमान पदनाम/कार्यस्थल	जन्म तिथि	अवर लिपिक वेतन लेवल-02 ग्रेड वेतन-1900/ में पदस्थापित विभाग	अभियुक्ति
1.	मोहन राम	सफाईवाला अधीन जेनिटर/सम0	02.03.64	वमवाप्र कार्यालय/सम0	
2.	अरुण कुमार राय	आदेशपाल अधीन अमरेप्र/सम0	07.01.79	वमवाप्र कार्यालय/सम0	
3.	रामवाबू राय	आदेशपाल/मरेप्र (का0)/सम0	18.06.67	वमकाधि कार्यालय/सम0	
4.	वाबू साहब पासवान	आदेशपाल/यांत्रिक कारखाना/सम0	05.10.75	मुकाप्र कार्यालय, यांत्रिक का0/सम0	
5.	सुनील कुमार	चौकीदार/मरेप्र (का0)/सम0	13.04.75	वमकाधि कार्यालय/सम0	
6.	शिवशंकर रजक	आदेशपाल/मरेप्र (का0)/सम0	12.11.59	वमकाधि कार्यालय/सम0	दिनांक 30.11.19 को रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।
7.	शिवलाल यादव	आदेशपाल/मरेप्र (यां0)/सम0	15.08.70	वमयाइं (समाडि) कार्यालय/सम0	
8.	कमाल अहमद	आदेशपाल/मरेप्र (वि0)/सम0	30.11.67	वमविइं (सा.) कार्यालय/सम0	
9.	नंदलाल पासवान	आदेशपाल/सीसेई (यां0)/नरकटियागंज	31.01.76	वमकाधि कार्यालय/सम0	



10.	प्रमिला देवी	आदेशपाल/मरेप्र (का0)/सम0	12.05.70	वमकाधि कार्यालय/सम0	
11.	संजय कुमार राम	खलासी (समाडि)/सम0	15.01.70	वमकाधि कार्यालय/सम0	
कुल 11 नाम मात्र					

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(मनोज कुमार चौधरी)

सकाधि-।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)

समस्तीपुर

दिनांक 03.12.2019

सं0- का/210/ पी/टंकक/1/सम0/पांच

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक(का0)/हाजीपुर को उनके पत्र सं0 GM(P)/ECR/Civil Appeal 8011-8012/SC/NDLS/MR dated 14.11.2019 के आलोक में सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक (विधि)/पूमरे, पटना।
3. निजी सचिव-। को मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. गोपनीय सहायक को अमरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. गोपनीय सहायक को वमकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. वमयाइ(समाडि), वमविइ (सामान्य), वमवाप्र/ समस्तीपुर।
7. मुकाप्र/यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. मकाधि/समस्तीपुर।
9. सकाधि-।।/समस्तीपुर।
10. विधि अधिकारी/समस्तीपुर।
11. वसेइं(यां)/नरकटियागंज, वसेइं(समाडि)/सम0, जेनिटर मरेप्र कार्यालय/सम0
12. मुख्य कार्याधी/प्रशासन एवं बिल
13. मंडल मंत्री ईसीआरकेयू/अजा/अजजा/ओबीसी/ एशो0/सम0।
14. संबंधित कर्मचारीगण

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)

समस्तीपुर